संख्या-4/1/2007-का-2/2007

प्रेषक,

जे0एस0दीपक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।
2-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।
3-समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊः दिनॉकः 11 जनवरी, 2008

विषयः-**निजी क्षेत्र की ऐसी इकाइयों, जिनमें राज्य सरकार की पूँजीगत भागीदारी 11 प्रतिशत से लेकर 49 प्रतिशत है, में अनुसूचित जातियो,अनुसूचित जनजातियो और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाना ।**

महोदय,

सरकार के सीमित संसाधनों के कारण विकास में निजी क्षेत्र की पूँजी का लाभ उठाना आवश्यक हो गया है। इसलिए विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी निरन्तर महत्वपूर्ण होती जा रही है। तद्नुसार राज्य की आर्थिक नीति ने मध्यमार्गीय अर्थव्यवस्था का रास्ता अपनाया है जिससे एक ओर बड़े पैमाने पर निजी स्रोतों से पूँजी निवेश हो वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार का सभी क्षेत्रों के विकास का उत्तरदायित्व भी पूरा हो ।

2- उत्तर प्रदेश राज्य में बदलते हुए आर्थिक परिवेश में शनैः शनैः निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़नी है व राज्य सरकार की आर्थिक निति के अन्तर्गत हर क्षेत्र में वृहद पैमाने पर विकास निजी क्षेत्र सहभागिता(पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) में होगा । भविष्य में राज्य सरकार की सहायता से औद्योगिक एवं कल्याणकारी क्षेत्र में ऐसी संस्थाएं/इकाइयां स्थापित की जाने की संभावना है जिनमें राज्य सरकार की पूँजीगत भागीदारी 11 प्रतिशत से 49 प्रतिशत तक होगी ।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोंपरान्त शासन द्वारा जिन क्षेत्रों में परम्परागत रुप से राज्य सरकार द्वारा सेवाऐं दी जा रही है, उनमें भी भविष्य में निजी क्षेत्र की सहभागिता की सम्भावना के दृष्टिगत निजी क्षेत्र की ऐसी इकाइयों में, जिनमें राज्य सरकार की पूँजीगत भागीदारी 11 प्रतिशत से 49 प्रतिशत तक है, में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण)

धिनियम, 1994 के समान ही अनुसूचित जातियों के मामले में 21प्रतिशत,अनुसूचित जनजातियों के मामले में 2 प्रतिशत तथा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो के मामले में 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

4- कृपया शासन के उपरोक्त निर्णय का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

11/1/08

(जे0 एस0 दीपक)
प्रमुख सचिव ।

संख्या-4/1/2007-का-2/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव,प्रमुख सचिव,श्री राज्यपाल को प्रमुख सचिव के सूचनार्थ।
(2) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(बी0एन0दीक्षित)
सचिव।